



आरत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, टौंगबुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश- 171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
0177-2652541
फैक्स/Fax: 0177-2657517

पत्र सं0 ८वी/एच.पी./०६/८०/२०१९/एफ.सी./१७७

दिनांक: 22 / 07 / 2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आमर्स्डेल बिल्डिंग, शिमला।

विषय: Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/0 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/ROAD/25608/2017)

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी—सह—अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के पत्रांक एफ.टी. 48-3565 / 2017 (एफ.सी.ए.) दिनांक 24.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर नोडल अधिकारी—सह—अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा—2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय—समय पर अतिरिक्त सूचनाएं चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना नोडल अधिकारी—सह—अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि०प्र० के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार Diversion of 4.00 ha of forest land in favour of HPPWD for construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms 0/0 to 8/100), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः—

- वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:**

(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने परिश्रांषित वन भूमि पर अर्थात् 8.00 हे० Tandi DPF, Village Kanog, Beat Rehardhar, Block Rehardhar, Range Mandi, Forest Division Mandi, Distt. Mandi में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सी.ए. क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

(घ) राज्य सरकार, निर्देशित एफ.सी.ए., 1980 की guideline के para 1.21 (ii) के अनुसार FCA,1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual simple interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा।

21. ከፍታዊት ዓይነት በፊት ስራውን እና የቅርቡ ተስፋዎች የቅርቡ ተስፋዎች

ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳ୍ପାଳୟ ଅତିକାଳେ

የኢትዮጵያውያንድ በቃል የሚከተሉ ነው ተስፋዎች ስለመስጠት ተስፋዎች ስለመስጠት

19. የዚህ በትክክል እና ስራውን ተስፋይ ይችላል ተስፋይ ይችላል ተስፋይ ይችላል ተስፋይ ይችላል

Եթէ օհոյմք լեռն ենը աւոր և լեռն լինը լիւր և կյանձ կը յաջուն լավ լուսպայութ լույս

14. ቁጥር ፪ አገልግሎት ቁጥር ፫ የዚህ አገልግሎት ቁጥር ፫-፩ንደር የዚህ ተጓና ፈቃድ ይፈጸማል ተስተካክለሁ |

9. ቤትና ማስታወሻ / የትራንስፖርት አገልግሎቶች እና ተክኖሎጂ ስራውን በመሆኑ ተረም
10. አዲስ አበባ መካከል አገልግሎት አገልግሎት አገልግሎት አገልግሎት አገልግሎት አገልግሎት አገልግሎት

6. ከፌታደራዊ ሪፐብሊክ, 2006 ዓ.ም የኢትዮጵያ ተከራካሪ ስነዎች በመስጠት ቅዱስ ቀን ተቀብል ይችላል

10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 94 09.05.2008 9411 4121614 611 9411
5-1/1998-ყ.წ.წ. (Pt. 2) 18.09.2003, 5-2/2006-ყ.წ.წ. 03.10.2006 94

ይመለከት በዚህ የዕለታዊ ሪፖርት የሚከተሉት ደንብ ነው፡፡

10. Առաջ լր հիշյ քեցուն բարեկ սպիհը նք էլլին

Digitized by srujanika@gmail.com

1 የ ማቀት በዚ ስቃጭ መሬጃና ተሳሪካው ማቀሻና ሆኖ ቅሁ
ማኑና ማግኘቱን ማሆ ቁጥር ማግኘቱን እና ንብረቱ እና በዚያና ተመ

22. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जलरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(३१५४२१) ८३
 (सत्य प्रकाश नेगी) ८३
 क्षेत्रीय अधिकारी ८३

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी—सह—अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. वन मण्डल अधिकारी, मण्डी वन मण्डल, जिला—मण्डी, हिमाचल प्रदेश।
4. आदेश पत्रावली।

(सत्य प्रकाश नेगी)
 क्षेत्रीय अधिकारी

